राजस्थान सरकार
वित्त (समन्वय) विभाग

क्रमांक प. 20(146)वित्त/समन्वय/2008-पार्ट जयपुर, दिनांक 2-11-2017

आदेश

प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक प. 20(22)प्र.सु./सू.अ.प्र./2008 दिनांक 05.05.2011 के अनुसरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त वित्त विभाग से संबंधित अपीलो के संबंध में शासन सचिव, वित्त(राजस्व) एवं शासन सचिव, वित्त(बजट) व शासन सचिव, वित्त(व्यय) को उनके अधीनस्थ अनुभागों के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त विभाग को उनके अनुभाग का लोक सूचना अधिकारी मनोनीत किया जाता है। वित्त विभाग में प्राप्त प्रथम अपीलों से संबंधित समस्त कार्य वित्त (समन्वय) विभाग द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

इस आदेश के अन्तर्गत इस अनुभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 16/17.05.2011 को एतद्द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है।

अति0 मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
2. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
3. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
6. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।
8. कम्प्यूटर सैल

संयुक्त शासन सचिव